रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 1972/वैशाख 8, 1894

No. 130] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 1972/VAISAKHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April 1972

G.S.R. 264(E).—In exercise of the powers conferred by the first and second provisions to sub-section (2) of section 1 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), the Central Government hereby appoints the 29th day of April, 1972, as the date on which section 54 of the said Act shall come into force in the Union Territory of Mizoram.

[No. F.11/5/72-SR.]
K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 264 (अ).—संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 1 की उपधारा (2) के प्रथम और द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 1972 के अप्रैल के 29वें दिन को, ऐसी तारीख के रूप में एतद्द्वारा नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 54 मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त होगी ।

[सं० फा० 11/5/72-एम० आर०]

के० आर० प्रभू, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972